

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पीठ निरस्त/ — /2024, लखनऊ :: दिनांक 24 जनवरी, 2024

—:: संशोधित आदेश ::—

मुख्यालय के आदेशांक 02/2024 दिनांक 03-01-2024 के द्वारा जनपद कानपुर में युगलपीठ का गठन दिनांक 12-02-2024 से 15-02-2024 तक करते हुए, युगलपीठ के सदस्य के रूप में न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, लखनऊ एवं सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, कानपुर को नामित किया गया था।

श्री विक्रम सिंह, एच0जे0एस0, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, लखनऊ के पत्र सं0 52/2024 दिनांक 23-01-2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके पिताजी कैंसर रोग से पीड़ित हैं, जिन्हें डाक्टर से जाँच एवं इलाज/परामर्श हेतु उक्त गठित युगलपीठ के दौरान में ही तिथि निर्धारित है, जिसके कारण उनका लखनऊ में रहना अत्यावश्यक है।

अतः उपरोक्त अपरिहार्य परिस्थितियों में सम्यक रूप से विचार करते हुए पूर्व निर्गत उक्त आदेश सं0 02/2023 दिनांक 03-01-2024 को आंशिक रूप में संशोधित करते हुए कानपुर पीठ में दिनांक 12-02-2024 से 15-02-2024 तक गठित युगलपीठ तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0-24-01-2024,

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/यु0पीठ निरस्त/128 /2024 दिनांक ::यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, लखनऊ पीठ-1, लखनऊ।
- 2- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, कानपुर पीठ-1, 2, 3 व 4 कानपुर।
- 3- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी /नाजिर, मुख्यालय।
- 4- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।